

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 331 सन 2019

अनवान :-

1. बंशीलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामदेई पुत्री भागीरथ पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री भागीरथ पत्नी रयसिंह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री भागीरथ पत्नी बलराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. पूनम पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

7. अनील कुमार 8 सुनील कुमार पूनीया पुत्रगण बंशीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 107/108 की कुल 11.3600हैक खाता संख्या 108/109 की 1.7330हैक व खाता संख्या 109/110 की 34.2570हैक जिसमें खाता विभाजन उपरान्त रोही मौजा ललानिया के खसरा न० 104/4 की 0.493हैक , 145/3 की 3.304हैक , खसरा न० 149/5 की 0.873हैक , खसरा न० 208/5 की 1.328हैक , खसरा न० 216/1 की 1.961हैक खसरा न० 274/3 की 5.161हैक खसरा न० 300/3 की 2.581हैक कुल 15.701हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरसुख के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वादी के पिता भागीरथ पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,7,8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,7,8 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,7, 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरसुख के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7, 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 5 वादी की पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 की बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 7, 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 104/4 की 0.493हैक , 145/3 की 3.304हैक , खसरा न0 149/5 की 0.873हैक , खसरा न0 208/5 की 1.328हैक , खसरा न0 216/1 की 1.961हैक खसरा न0 274/3 की 5.161हैक खसरा न0 300/3 की 2.581हैक कुल 15.701हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरसुख के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वादी के पिता भागीरथ पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,7,8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7, 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 104/4 की 0.493हैक , 145/3 की 3.304हैक ,


खसरा न० 149/5 की 0.873हैक , खसरा न० 208/5 की 1.328हैक , खसरा न० 216/1 की 1.961हैक खसरा न० 274/3 की 5.161हैक खसरा न० 300/3 की 2.581हैक कुल 15.701हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 रोही मौजा ललानिया के अनुसार वाद भूमि हरसुख पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,7 ,8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 5 जो वादी की बहने/पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,7, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7, 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खसरा न० 104/1 की 0.493 , 145/3 की 3.304 ,149/5 की 0.873 ,208/5 की 1.328 ,216/1 की 1.961 ,274/3 की 5.161,300/3 की 2.581हैक कुल 15.701हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 में से खसरा न० 145/3 की 3.304हैक , 274/3 की 5.161 ,300/3 की 2.581हैक कुल 11.046हैक भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपस्थित अधिकारी (सजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बंशीलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामदेई पुत्री भागीरथ पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री भागीरथ पत्नी रयसिंह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री भागीरथ पत्नी बलराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. पूनम पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

7. अनील कुमार 8 सुनील कुमार पूनीया पुत्रगण बंशीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।


तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 331 सन 2019 निर्णय दिनांक- 21/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 104/1 की 0.493 , 145/3 की 3.304 , 149/5 की 0.873 , 208/5 की 1.328 , 216/1 की 1.961 , 274/3 की 5.161, 300/3 की 2.581 हैक् कुल 15.701 हैक् भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 में सें खसरा न0 145/3 की 3.304 हैक् , 274/3 की 5.161 , 300/3 की 2.581 हैक् कुल 11.046 हैक् भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 , 8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)